**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**उच्‍चतर शिक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 46**

**उत्तर देने की तारीखः 24.11.2014**

**समान शिक्षा नीति**

**46. श्री परवेज़ हाशमीः**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार देश में नर्सरी से लेकर बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए समान शिक्षा नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बच्चों के माता-पिता यह मांग कर रहे हैं कि नर्सरी कक्षा में प्रवेश हेतु आयु चार वर्ष होनी चाहिए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

**(**प्रो0 (डॉ0) राम शंकर कठेरिया)

**(क) से (ड़): 1992 में यथा संशोधित राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 शिक्षा के क्षेत्र में केन्‍द्र सरकार की नीतियों के लिए मार्गदर्शी दस्‍तावेज रही है। सरकार 1992 में यथा संशोधित राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का अनुपालन कर रही है जिसमें राष्‍ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रावधान किया गया है। इसमें स्‍पष्‍ट किया गया है कि जाति, धर्म, स्‍थान अथवा लिंग पर ध्‍यान दिए बिना सभी विद्यार्थियों को, एक प्रदत्‍त स्‍तर तक, तुलनीय गुणवत्‍तापरक शिक्षा सुलभ हो। राष्‍ट्रीय शिक्षा प्रणाली में एक सामान्‍य शैक्षिक ढांचे की परिकल्‍पना की गई है। 10+2+3 का ढांचा अब देश के अधिकांश भागों में स्‍वीकार किया जा चुका है।**

**नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 के तहत स्‍कूल-पूर्व शिक्षा को शामिल करने और नर्सरी कक्षा में प्रवेश की आयु के संबंध में कई सुझाव प्राप्‍त हो रहे हैं। शिक्षा नीति में जब भी संशोधन किया जाएगा, इन सुझावों पर विचार किया जाएगा।**

**\*\*\*\*\***